क्र/जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वन भूमि/व्यपवर्तन/सुकमा/2025 रायपुर, दिनांकः 23.05.2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन, अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd., Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Sukma Forest Division under Sukma District of Chhattisgarh State, Area- 3.857 ha.**
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक **FP/CG/OFC/155722/2022**

संदर्भः– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5–29/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27.09.2023 ।

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 5–29/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.07.2024 ।

महोदय

विषयांतर्गत सुकमा जिले के सुकमा वनमण्डल अंतर्गत विभिन्न मार्गो के सड़क समानांतर आर. ओ. डब्ल्यू. सीमा में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि 3.857 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत संदर्भित पत्र कमांक 1 के माध्यम से प्रथम चरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मुल्य से छूट थी, इसलिए वनमंडलाधिकारी सुकमा द्वारा राशि की मांग नही की गई है, परंतु परिवेश पोर्टल 1.0 में प्रस्ताव का स्टेटस In-principle दर्शित हो रहा है।

ऑनलाईन प्रकिया पूर्ण किए जाने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा शुन्य राशि का मांग पत्र अपलोड करते हुए अनुरोध है कि कृपया अग्रिम प्रकिया पूर्ण किए जाने हेतु अनुमोदन करने का कष्ट करें।

संलग्न : संदर्भित प्रथम चरण एवं अंतिम चरण की स्वीकृति।

(अमन कुमार सिंह)
असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–29/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 27/09/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.857 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–940A/1706, दिनांक 19.07.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	सुकमा	सुकमा	तोंगापाल	बोगम	आरक्षित वनभूमि	31	1740	0.50	0.087
2	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	115	4200	0.50	0.210
3	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	116	920	0.50	0.046
4	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	119	3400	0.50	0.170
5	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	118	1040	0.50	0.052
6	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	162	1000	0.50	0.050
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	163	2040	0.50	0.102
8	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	275	2600	0.50	0.130
9	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	276	3040	0.50	0.152
10	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	283	1120	0.50	0.056
11	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	285	2200	0.50	0.110
12	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी–2	आरक्षित वनभूमि	287	760	0.50	0.038
13	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी–1	आरक्षित वनभूमि	284	1680	0.50	0.084
	आरक्षित वन भूमि का योग						**25740**	**0.50**	**1.287**

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
14	सुकमा	सुकमा	तोंगापाल	रोकेल–1	संरक्षित वनभूमि	P77	1540	0.50	0.077
15	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	1600	0.50	0.080
16	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला–2	संरक्षित वनभूमि	P158	640	0.50	0.032
17	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला पूर्व	संरक्षित वनभूमि	P155	820	0.50	0.041
18	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला–6	संरक्षित वनभूमि	P153	120	0.50	0.006
19	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम–1	संरक्षित वनभूमि	P148	300	0.50	0.015
20	सुकमा	सुकमा	सुकमा	चिकपाल	संरक्षित वनभूमि	P274	660	0.50	0.033
21	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेंटा	संरक्षित वनभूमि	P292	1220	0.50	0.061
22	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेदाकुर्ती–3	संरक्षित वनभूमि	P289	360	0.50	0.018
23	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गगनपल्ली–1	संरक्षित वनभूमि	P667	960	0.50	0.048
24	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एर्राबोर–3	संरक्षित वनभूमि	P675	600	0.50	0.030
25	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एर्राबोर–2	संरक्षित वनभूमि	P676	580	0.50	0.029
26	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P699	1380	0.50	0.069
27	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P694	2880	0.50	0.144
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P709	180	0.50	0.009
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	ढोढरा–3	संरक्षित वनभूमि	P711	180	0.50	0.009
30	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा–3	संरक्षित वनभूमि	P168	380	0.50	0.019
31	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोपालगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P171	1440	0.50	0.072
32	सुकमा	सुकमा	तोंगापाल	जंगरपाल (कोकावाड़ा)	संरक्षित वनभूमि	P22	780	0.50	0.039
33	सुकमा	सुकमा	तोंगापाल	किंदरवाड़ा	संरक्षित वनभूमि	P94	1680	0.50	0.084
34	सुकमा	सुकमा	तोंगापाल	रानीबहार	संरक्षित वनभूमि	P111	1700	0.50	0.085
35	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	चिंतागुफा	संरक्षित वनभूमि	P544	840	0.50	0.042
36	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा–2	संरक्षित वनभूमि	P543	700	0.50	0.035
37	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा–1	संरक्षित वनभूमि	P542	900	0.50	0.045
38	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पुसपल्ली	संरक्षित वनभूमि	P302	3460	0.50	0.173
39	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	कांकेरलंका	संरक्षित वनभूमि	P299	1200	0.50	0.060
संरक्षित वन भूमि का योग							**27100**	**0.50**	**1.355**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	126/1	480	0.50	0.024
2	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	103/2	300	0.50	0.015
3	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	71	240	0.50	0.012
4	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	84	40	0.50	0.002
5	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पालेम	राजस्व वनभूमि	87	160	0.50	0.008
6	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कूकानार	राजस्व वनभूमि	1333/1	1180	0.50	0.059
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	733	280	0.50	0.014
8	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	771	140	0.50	0.007
9	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	773	100	0.50	0.005
10	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	839/1	480	0.50	0.024

क्रमशः 3

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
11	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	833	40	0.50	0.002
12	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	827	380	0.50	0.019
13	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	109	600	0.50	0.030
14	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	146	240	0.50	0.012
15	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1276	220	0.50	0.011
16	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1281	280	0.50	0.014
17	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1312	220	0.50	0.011
18	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1323	100	0.50	0.005
19	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1334	300	0.50	0.015
20	सुकमा	सुकमा	कोंटा	कामापेंदाग	राजस्व वनभूमि	388	360	0.50	0.018
21	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	169	40	0.50	0.002
22	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	129	80	0.50	0.004
23	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	143	80	0.50	0.004
24	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	151	60	0.50	0.003
25	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	167	60	0.50	0.003
26	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	300	0.50	0.015
27	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	148	180	0.50	0.009
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	158	340	0.50	0.017
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	168	140	0.50	0.007
30	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	166	80	0.50	0.004
31	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	500	320	0.50	0.016
32	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	513	420	0.50	0.021
33	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	514	340	0.50	0.017
34	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	189	100	0.50	0.005
35	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	290/1	320	0.50	0.016
36	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	307	40	0.50	0.002
37	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	306	1280	0.50	0.064
38	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेंटा	राजस्व वनभूमि	102	180	0.50	0.009
39	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेंटा	राजस्व वनभूमि	108	180	0.50	0.009
40	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेदाकिसोली	राजस्व वनभूमि	89	120	0.50	0.006
41	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुडा	राजस्व वनभूमि	266	220	0.50	0.011
42	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	978	100	0.50	0.005
43	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	985	120	0.50	0.006
44	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	734	240	0.50	0.012
45	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	356	40	0.50	0.002
46	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	269	60	0.50	0.003
47	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोंगपाल	राजस्व वनभूमि	162	280	0.50	0.014
48	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोंगपाल	राजस्व वनभूमि	161/1	80	0.50	0.004
49	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोंगपाल	राजस्व वनभूमि	276/1	20	0.50	0.001
50	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	626	360	0.50	0.018
51	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	634/1	360	0.50	0.018
52	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	635	180	0.50	0.009
53	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकालपाल	राजस्व वनभूमि	245	680	0.50	0.034
54	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकालपाल	राजस्व वनभूमि	251	100	0.50	0.005

क्रमशः 4

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
55	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1013	180	0.50	0.009
56	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोडरीपाल	राजस्व वनभूमि	1008	680	0.50	0.034
57	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	1040	720	0.50	0.036
58	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	1059	580	0.50	0.029
59	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोडरीपाल	राजस्व वनभूमि	1075	940	0.50	0.047
60	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	538	120	0.50	0.006
61	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	550	120	0.50	0.006
62	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पुसपाल	राजस्व वनभूमि	26	300	0.50	0.015
63	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाडा	राजस्व वनभूमि	483/1	200	0.50	0.010
64	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाडा	राजस्व वनभूमि	530	460	0.50	0.023
65	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	183	220	0.50	0.011
66	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	213	100	0.50	0.005
67	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	555	360	0.50	0.018
68	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	425	240	0.50	0.012
69	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	516	320	0.50	0.016
70	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	511	260	0.50	0.013
71	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	95	140	0.50	0.007
72	सुकमा	सुकमा	कोंटा	चिंतागुफा	राजस्व वनभूमि	115	340	0.50	0.017
73	सुकमा	सुकमा	कोंटा	तेमेलवाड़ा	राजस्व वनभूमि	200	480	0.50	0.024
74	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	165	140	0.50	0.007
75	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	415	540	0.50	0.027
76	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	412	420	0.50	0.021
77	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	444	260	0.50	0.013
78	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	232	500	0.50	0.025
79	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	195	440	0.50	0.022
80	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	123	320	0.50	0.016
81	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	126	80	0.50	0.004
82	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	128	440	0.50	0.022
83	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	135	300	0.50	0.015
84	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	368	120	0.50	0.006
85	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	357	260	0.50	0.013
86	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	170	80	0.50	0.004
राजस्व वनभूमि का योग							**24300**	**0.5**	**1.215**
कुल योग							**77140 (77.14 K.M.)**	**0.5**	**3.857**

उक्त 77.14 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 3.857 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.287 हे. संरक्षित वन भूमि 1.355 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।

क्रमशः 5

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

क्रमशः 6

15. आवेदक संस्थान द्वारा विषयांकित प्रकरण में 2.642 हे. वन भूमि का कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। शेष रकबा (3.857 हे. – 2.642 हे. = 1.215 हे.) का आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ औपचारिक अनुमति के पूर्व अनिवार्य रुप से कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र जिसमें आवेदित रकबा 1.215 हे. उल्लेखित हो, प्रदाय करेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,
K.Rajput 27.9.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–29/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/09/2023

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध),कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, सुकमा वनमंडल, सुकमा, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

K.Rajput 27.9.23
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–29 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक / 07 / 2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.857 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–29 / 2023 / 10–2, दिनांक 27.09.2023।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–940/2809, दिनांक 20.12.2023।

----000----

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र 4 मे उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत् औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका मे दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	बोगम	आरक्षित वनभूमि	31	1740	0.50	0.087
2	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	115	4200	0.50	0.210
3	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	116	920	0.50	0.046
4	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	119	3400	0.50	0.170
5	सुकमा	सुकमा	सुकमा	पाकेला	आरक्षित वनभूमि	118	1040	0.50	0.052
6	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	162	1000	0.50	0.050
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा	आरक्षित वनभूमि	163	2040	0.50	0.102
8	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	275	2600	0.50	0.130
9	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	276	3040	0.50	0.152
10	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	283	1120	0.50	0.056
11	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी	आरक्षित वनभूमि	285	2200	0.50	0.110
12	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी–2	आरक्षित वनभूमि	287	760	0.50	0.038
13	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	शबरी–1	आरक्षित वनभूमि	284	1680	0.50	0.084
		आरक्षित वन भूमि का योग					**25740**	**0.50**	**1.287**

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
14	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रोकेल–1	संरक्षित वनभूमि	P77	1540	0.50	0.077
15	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा	संरक्षित वनभूमि	P175	1600	0.50	0.080
16	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला–2	संरक्षित वनभूमि	P158	640	0.50	0.032
17	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला पूर्व	संरक्षित वनभूमि	P155	820	0.50	0.041
18	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोंगला–6	संरक्षित वनभूमि	P153	120	0.50	0.006
19	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम–1	संरक्षित वनभूमि	P148	300	0.50	0.015
20	सुकमा	सुकमा	सुकमा	चिकपाल	संरक्षित वनभूमि	P274	660	0.50	0.033
21	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेंटा	संरक्षित वनभूमि	P292	1220	0.50	0.061
22	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पेदाकुर्ती–3	संरक्षित वनभूमि	P289	360	0.50	0.018
23	सुकमा	सुकमा	कोंटा	नागनपल्ली–1	संरक्षित वनभूमि	P667	960	0.50	0.048
24	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एर्राबोर–3	संरक्षित वनभूमि	P675	600	0.50	0.030
25	सुकमा	सुकमा	कोंटा	एर्राबोर–2	संरक्षित वनभूमि	P676	580	0.50	0.029
26	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P699	1380	0.50	0.069
27	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मेटागुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P694	2880	0.50	0.144
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P709	180	0.50	0.009
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	ढोंढरा–3	संरक्षित वनभूमि	P711	180	0.50	0.009
30	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोंडा–3	संरक्षित वनभूमि	P168	380	0.50	0.019
31	सुकमा	सुकमा	सुकमा	गोपालगुड़ा	संरक्षित वनभूमि	P171	1440	0.50	0.072
32	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	जगरपाल (कोकावाड़ा)	संरक्षित वनभूमि	P22	780	0.50	0.039
33	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	किंदरवाड़ा	संरक्षित वनभूमि	P94	1680	0.50	0.084
34	सुकमा	सुकमा	तोंगपाल	रानीबहार	संरक्षित वनभूमि	P111	1700	0.50	0.085
35	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	चिंतागुफा	संरक्षित वनभूमि	P544	840	0.50	0.042
36	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	तेमेलवाड़ा–2	संरक्षित वनभूमि	P543	700	0.50	0.035
37	सुकमा	सुकमा	जगरगुण्डा	टेमेलवाड़ा–1	संरक्षित वनभूमि	P542	900	0.50	0.045
38	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	पुसपल्ली	संरक्षित वनभूमि	P302	3460	0.50	0.173
39	सुकमा	सुकमा	दोरनापाल	कांकेरलंका	संरक्षित वनभूमि	P299	1200	0.50	0.060
			संरक्षित वन भूमि का योग				**27100**	**0.50**	**1.355**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	126/1	480	0.50	0.024
2	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पेरमारास	राजस्व वनभूमि	103/2	300	0.50	0.015
3	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	71	240	0.50	0.012
4	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कावराकोपा	राजस्व वनभूमि	84	40	0.50	0.002
5	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पालेम	राजस्व वनभूमि	87	160	0.50	0.008
6	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कूकानार	राजस्व वनभूमि	1333/1	1180	0.50	0.059
7	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	733	280	0.50	0.014
8	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	771	140	0.50	0.007
9	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	773	100	0.50	0.005
10	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	839/1	480	0.50	0.024

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
11	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	833	40	0.50	0.002
12	सुकमा	सुकमा	सुकमा	बोरगुड़ा	राजस्व वनभूमि	827	380	0.50	0.019
13	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	109	600	0.50	0.030
14	सुकमा	सुकमा	सुकमा	रामाराम	राजस्व वनभूमि	146	240	0.50	0.012
15	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1276	220	0.50	0.011
16	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1281	280	0.50	0.014
17	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1312	220	0.50	0.011
18	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1323	100	0.50	0.005
19	सुकमा	सुकमा	कोंटा	दुब्बाटेटा	राजस्व वनभूमि	1334	300	0.50	0.015
20	सुकमा	सुकमा	कोंटा	कामापेंदाग	राजस्व वनभूमि	388	360	0.50	0.018
21	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	169	40	0.50	0.002
22	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	129	80	0.50	0.004
23	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	143	80	0.50	0.004
24	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	151	60	0.50	0.003
25	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेंटा	राजस्व वनभूमि	167	60	0.50	0.003
26	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	143	300	0.50	0.015
27	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	148	180	0.50	0.009
28	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	158	340	0.50	0.017
29	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	168	140	0.50	0.007
30	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	166	80	0.50	0.004
31	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	500	320	0.50	0.016
32	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	513	420	0.50	0.021
33	सुकमा	सुकमा	कोंटा	मनीकोंटा	राजस्व वनभूमि	514	340	0.50	0.017
34	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	189	100	0.50	0.005
35	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	290/1	320	0.50	0.016
36	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	307	40	0.50	0.002
37	सुकमा	सुकमा	कोंटा	बिरला	राजस्व वनभूमि	306	1280	0.50	0.064
38	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेंटा	राजस्व वनभूमि	102	180	0.50	0.009
39	सुकमा	सुकमा	कोंटा	राजपेंटा	राजस्व वनभूमि	108	180	0.50	0.009
40	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पेदाकिसोली	राजस्व वनभूमि	89	120	0.50	0.006
41	सुकमा	सुकमा	कोंटा	फंदीगुडा	राजस्व वनभूमि	266	220	0.50	0.011
42	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	978	100	0.50	0.005
43	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	985	120	0.50	0.006
44	सुकमा	सुकमा	सुकमा	मुरतोण्डा	राजस्व वनभूमि	734	240	0.50	0.012
45	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	356	40	0.50	0.002
46	सुकमा	सुकमा	गादीरास	रामपुरम	राजस्व वनभूमि	269	60	0.50	0.003
47	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोंगपाल	राजस्व वनभूमि	162	280	0.50	0.014
48	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोंगपाल	राजस्व वनभूमि	161/1	80	0.50	0.004
49	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	तोंगपाल	राजस्व वनभूमि	276/1	20	0.50	0.001
50	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	626	360	0.50	0.018
51	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	634/1	360	0.50	0.018
52	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	लेदा	राजस्व वनभूमि	635	180	0.50	0.009
53	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकालपाल	राजस्व वनभूमि	245	680	0.50	0.034
54	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकालपाल	राजस्व वनभूमि	251	100	0.50	0.005

क्रमश: 4

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
55	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	सौतनार	राजस्व वनभूमि	1013	180	0.50	0.009
56	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोडरीपाल	राजस्व वनभूमि	1008	680	0.50	0.034
57	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	1040	720	0.50	0.036
58	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	1059	580	0.50	0.029
59	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोडरीपाल	राजस्व वनभूमि	1075	940	0.50	0.047
60	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	538	120	0.50	0.006
61	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	कोकावाड़ा	राजस्व वनभूमि	550	120	0.50	0.006
62	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	पुसपाल	राजस्व वनभूमि	26	300	0.50	0.015
63	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाडा	राजस्व वनभूमि	483/1	200	0.50	0.010
64	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	किन्दरवाडा	राजस्व वनभूमि	530	460	0.50	0.023
65	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	183	220	0.50	0.011
66	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	213	100	0.50	0.005
67	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	गुडरा	राजस्व वनभूमि	555	360	0.50	0.018
68	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	425	240	0.50	0.012
69	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	516	320	0.50	0.016
70	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	511	260	0.50	0.013
71	सुकमा	सुकमा	छिंदगढ़	धोबनपाल	राजस्व वनभूमि	95	140	0.50	0.007
72	सुकमा	सुकमा	कोंटा	चिंतागुफा	राजस्व वनभूमि	115	340	0.50	0.017
73	सुकमा	सुकमा	कोंटा	तेमेलवाड़ा	राजस्व वनभूमि	200	480	0.50	0.024
74	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	165	140	0.50	0.007
75	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	415	540	0.50	0.027
76	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	412	420	0.50	0.021
77	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पुसवाड़ा	राजस्व वनभूमि	444	260	0.50	0.013
78	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	232	500	0.50	0.025
79	सुकमा	सुकमा	कोंटा	पोलमपल्ली	राजस्व वनभूमि	195	440	0.50	0.022
80	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	123	320	0.50	0.016
81	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	126	80	0.50	0.004
82	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	128	440	0.50	0.022
83	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	135	300	0.50	0.015
84	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	368	120	0.50	0.006
85	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	357	260	0.50	0.013
86	सुकमा	सुकमा	कोंटा	गोरगुडा	राजस्व वनभूमि	170	80	0.50	0.004
राजस्व वनभूमि का योग							**24300**	**0.5**	**1.215**
कुल योग							**77140 (77.14 K.M.)**	**0.5**	**3.857**

उक्त 77.14 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 3.857 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.287 हे. संरक्षित वन भूमि 1.355 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage-II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।

क्रमशः 5

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–29 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, सुकमा वनमंडल, सुकमा, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/07/24
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

विविध–II

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
नया रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. 3111
दिनांक 22/07/24